2025 / 456

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40 / 2025 (राजसमन्द आर्डर)

जसवन्त सिंह पिता मोडसिंह जाति राजपुत, निवासी नन्दावट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भीम दिनांक 06.10.2025 प्रकरण संख्या 1 / 2025 प्रार्थना पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री जगदीश पुरोहित अभिभाषक अपीलार्थी

2– श्री अनिल बागोरा राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नन्दावट, पटवार हल्का टोगी, तहसील भीम में आराजी संख्या 1827 होकर रकबा 01.00 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के पुराने आराजी नम्बर 1808 मीन थे, जो पुराने मूल नम्बर थे। संवत् 2023 भू–सेंटलमेंट के समय खसरा नम्बर 1808 मीन रकबा 18[illegible] बीघा भूमि / [illegible] 1808 मीन रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा के नये नम्बर 1827 ([illegible]7 / [illegible]) बने, जिसका कुलिया रकबा 36.15 बीघा [illegible] के रूप में दर्ज था। उक्त भूमि हमारे पूर्वाधिकारी निम्ब[illegible] के कब्जे आधिपत्य की थी, जिसमें रेवेन्यु रिकॉर्ड में त्रुटि पूर्वक गलत अंकन हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जाने के कारण कतिपय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी की भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है। इसलिये वादी/प्रार्थी ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी व उसके परिवार का पारिवारिक सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर मूल पुरूष निम्बसिंह जी होकर उनके चार पुत्र खुमाणसिंह, पन्नासिंह, डूंगरसिंह व सुजानसिंह तथा खुमाणसिंह के वारिस मोटसिंह व फतहसिंह हुये। मोटसिंह के वारिस जसवन्तसिंह तथा फतहसिंह के वारिस लक्ष्मणसिंह हुये। यह कि खसरा गिरदावरी संवत् 2016, 2017, 2018 में खसरा नम्बर 1808/1, 1808/2, 1803/3, 1804/4 (सामवातेहद) का कुलिया रकबा 36.10 बीघा जिसमें पन्ना, डूंगा, सुजा पिता निम्बा जो क्रमशः पन्नासिंह, डूंगरसिंह, सुजानसिंह, पिता निम्बसिंह एवं फतहसिंह पिता खुमाणसिंह के नाम पर दर्ज होकर सभी प्रकार की फसल बोने का अंकन है। पूर्व में बड़े भाई का ही राजस्व दस्तावेज व अन्य दस्तावेज में सम्मान सहित बडे भाई का नाम ही दर्ज किया जाता था, इसी क्रम में निम्बसिंह के पुत्र खुमाणसिंह जिनके दो पुत्र फतहसिंह व मोटसिंह विधि के अनुसार खुमाणसिंह के पश्चात् वारिसान के रूप में दोनों पुत्र फतहसिंह व मोटसिंह का नाम दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व दस्तावेज में प्रार्थी के पूर्वाधिकारी मोटसिंह जो खुमाणसिंह जी की जायदाद में 1/2 के हकदार थे पर नाम केवल फतहसिंह का लिखा गया, मौके पर प्रार्थी के पूर्वाधिकारी अपने हक अधिकार वाली जमीन पर तभी से काबिज होकर निरन्तर रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। प्रार्थी को व सभी आस–पास के लोगों को यही जानकारी है कि वादग्रस्त भूमि जसवन्तसिंह की है। लेकिन कुछ समय पूर्व विवाद होने व अन्य राजकीय भूमि पर कई सरकारी कार्यालयों का निमार्ण किया गया व मोके पर विवाद होने की स्थिति में राजस्व दस्तावेज देखे तभी पता चला कि जमीन वर्तमान में बिलानाम दर्ज है। उक्त भूमि बिलानाम दर्ज होने से विपक्षी द्वारा प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है तथा विपक्षीगण राजनैतिक [illegible] ते प्रार्थी को बेदखल करने पर हमादा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जावे कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आराजी नम्बर 1827 रकबा 1 बीघा भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.10.2025 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 15.10.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि तहसीलदार भीम ने स्थगन आदेश प्रदान करने हेतु लिखित में सहमति दी है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिकूल कब्जे से प्रार्थी के हक तथा स्वामित्व नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2025 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है तथा अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना स्वामित्व आधिकार बताते है। रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है तथा विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होकर रेस्पोडेंन्ट के खातेदारी की भूमि है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आधार खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है, जबकि विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक अधिकारों का सृजन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 06.10.2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

20.1.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested